

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)


क्रमांक प08(6) राज/वाद/14

जयपुर, दिनांक 16-07-18

:: आदेश ::


दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15 (2), 16 एवं 17 के अनुसार श्री हितेन्द्र सिंह हाडा, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/2738/04) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 2, बांरा, में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, बांरा के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रू. 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष (दिनांक 15.07.19 तक) या अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो तक, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

  
(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशेषाधिकारी (एस) माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांरा।
7. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2, बांरा।
8. जिला कलक्टर, बांरा।
9. कोषाधिकारी, बांरा।
10. संबंधित अभियोजक।
11. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
12. सहायक लेखाधिकारी वादकरण।
- ✓ 13. प्रोग्रामर विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

  
(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि